न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 95/2018 दायर दिनाँक 28.03.2018

वादीनी		प्रतिवादीगण
1. सुलोचना देवी पत्नि छीतरमल उम्र 45 वर्ष जाति रेगर निवासी तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।	बनाम्	1. पेमाराम पुत्र गणेशाराम उम्र 42 वर्ष 2. मदनलाल पुत्र गणेशाराम उम्र 38 वर्ष 3. राजूराम पुत्र गणेशाराम उम्र 35 वर्ष 4. ग्यारसी पुत्री गणेशाराम उम्र 55 वर्ष 5. मीरा पुत्री गणेशाराम उम्र 53 वर्ष 6. सोहनी पुत्री गणेशाराम उम्र 50 वर्ष 7. झुमा पुत्री गणेशाराम उम्र 48 वर्ष 8. गीता पुत्री गणेशाराम उम्र 46 वर्ष 9. केसरी पत्नि गणेशाराम उम्र 75 वर्ष 10. नेमीचन्द पुत्र भंवरलाल उम्र 30 वर्ष 11. कैलाश राम पुत्र भंवरलाल उम्र 28 वर्ष 12. सन्तोष देवी पत्नि मूलचन्द उम्र 35 वर्ष 13. चेनाराम पुत्र मूलचन्द उम्र 16 वर्ष 14. कालूराम पुत्र मूलचन्द उम्र 14 वर्ष 15. सुमित्रा पुत्री मूलचन्द उम्र 05 वर्ष (प्रतिवादी सं0 13, 14, 15 नाबालिक जरिये कुदरती वली सन्तोष पत्नि मूलचन्द) 16. नाथी पत्नि भंवरलाल उम्र 35 वर्ष समस्त जाति रेगर निवासीगण तोषीणा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0। 17. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
कब्जा जायगा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–188

उपस्थितः–

श्री ओमप्रकाश मोट वकील वादीनी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 03.01.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि यह है कि वादीनी ने पूर्व विक्रेता भंवरलाल से खेत खसरा सं0 709 में से अपना सम्भावित हक जो करीबन 02 बीघा 01 बिस्वा बनता है, खरीद किया एवं एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का अदालत हाजा में प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अदालत हाजा ने दिनांक 26.04.2017 को उक्त वाद डिक्री किया एवं वादीनी को रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि का स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया, जो कि उक्त खेत के पूर्वी ओर स्थित है।

यह है कि उक्त डिक्री की पालना में दिनांक 09.01.2018 को उपतहसीलदार, छोटी खाटू द्वारा नामान्तकरण भी स्वीकार किया गया है। अदालत हाजा के आदेश क्रमांक 17/860 दिनांक 20.09.2017 के मुताबिक कब्जा भी वादीनी को सौंपने का आदेश था। किन्तु [illegible] की पालना नायब तहसीलदार, छोटी खाटू द्वारा नही की गई, [illegible] नामान्तकरण स्वीकार कर लिया गया।

यह है कि दिनांक 09.01.2018 को भरे गये नामान्तकरण में 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि को अलग से स्थापित कर उसके खसरा सं0 1555/709 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा अलग ही दर्ज किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि वादीनी की खरीद सुदा व भोग–उपभोग की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना वादी इस प्रकार है–

यह है कि वादीनी को खेत खसरा नम्बर 1555/709 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा भूमि का वास्तविक व भौतिक कब्जा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद तामिल के प्रतिवादीगण अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वादीनी के वाद में तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार कब्जा दिलाना उचित प्रतित होता है।

–:आदेश :–

अतः तहसीलदार डीडवाना को निर्देशित किया जाता है कि वाकै सरहद तोषीणा के खसरा सं0 1555/709 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा में वादीनी का प्रकरण अन्तर्गत धारा 183 B के तहत दर्ज कर नियमानुसार कब्जा दिलाने की कार्यवाही करें।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **03.01.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलक्टर
R.A.S.
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.03.16 11:07:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner